

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ ए 3-39-2020-1-पांच-(05).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2020-1-पांच (65), भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,—

- (i) “29 जून, 2020” अंकों और शब्दों के स्थान पर “30 अगस्त 2020” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “30 जून, 2020” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 अगस्त, 2020” अंक और शब्द रखे जाएंगे.

(2) इस अधिसूचना को जून, 2020 के 27वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ ए 3-39-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-39-2021-1-पांच-(05), दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-39-2020-1-V-(05).—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in this department's notification No. FA-3-32-2020-1-V- (65), Bhopal dated 5th December 2020 namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

- (i) for the words, figures and letters “29th day of June, 2020”, the words, figures and letters “30th day of August, 2020”, shall be substituted;
- (ii) for the words, figures and letters “30th day of June, 2020”, the words, figures and letters “31st day of August, 2020”, shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27th day of JUNE, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.